मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम संविदा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें) नियम 2007

क्रमांक 23 एफ–1–12–2007–अठारह–3, दिनांक 16 अक्टूबर, 2007– मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 की उपधारा (2–क) के साथ पठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नगर पालिक निगम में संविदा आधार पर अधिकारियों तथा सेवकों की भर्ती, पारिश्रमिक और संविदा सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ,–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम संविदा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा की शतें) नियम, 2007 है ।**

2. ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीश से प्रवृत्त होंगे

2 **परिभाषाएं,–** इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों :–

(क) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956):

(ख) **''उपवाक्य''** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न उपबन्धः

(ग) **''नियुक्ति प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (2–क) के अधीन आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट मेयर–इन–काउंसिलः

(घ) ''संविदा नियुक्ति से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर किसी नगर पालिक निगम द्वारा नियुक्त कोई व्यक्तिः

(ड) **''संविदा अधिकारी/कर्मचारी''** से अभिप्रेत है, नगर पालिक निगम द्वारा उसके नियंत्रणाधीन कार्यों से निष्पादन के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्तिः

(च) **''निगम''** से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन गठित कोई नगर पालिक निगमः

(छ) **''सरकार''** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकारः

(ज) **''मेयर–इन–काउंसिल''** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 37 के अधीन गठिन की गई मेयर–इन–काउंसिल और इसमें सम्मिलित है अधिनियम की धारा 423 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया नगर प्रशासकः

(झ) **''अनूसूची''** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची :

(ञ) **''धारा''** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धाराः

(ट) **''चयन समिति''** से अभिप्रेत है, अनुसूची एक के कालम (6) में यथा विनिर्दिष्ट संविदा सेवा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति :–

अनुसूची–एक
(नियम 5)

अनु क्रमांक	संविदा सेवा में सम्मिलित पद	मासिक संविदा (रकम रूपये)	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	अनुभव	चयन समिति	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					1. आयुक्त–अध्यक्ष	मेयर–इन–काउंसिल

					2. संबंधित विभागाध्यक्ष–सदस्य 3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य जो उपसंचालक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो–सदस्य 4. आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी–सदस्य सचिव/संयोजक	

3. **विस्तार तथा प्रतियुक्तिः–** ये नियम नगर पालिक नियमों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन कार्यों के निष्पादन के लिए संविदा आधार पर नियोजित किये गये कर्मचारियों तथा अधिकारयों को लागू होंगे।

(1) **विस्तार तथा प्रयुक्ति** :– ये नियम नगर पालिक निगमों द्वारा उनके नियंत्रणधीन कार्यो के निष्पादन के लिये संविदा आधार पर नियोजित किये गये कर्मचारियों तथा अधिकारियों को लागू होंगे।

(2) **संविदा रकम का भुगतान** :– (1) संविदा आधार पर नियोजित सेवा के सदस्यों को मासिक संविदा रकम का भुगतान अनुसूची के कालम 3 में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा। (2) किसी संविदा आधार पर सेवा के सदस्यों को संविदा रकम का भुगतान उन दिनों के लिये नहीं किया जायेगा, जिनमें वह कर्तव्य पर अनुपस्थित है।

(3) **चयन तथा पदों पर नियुक्ति की पद्धति** :– पद नगर पालिक निगम में संविदा के पदों की संख्या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जायेगी और इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् संविदा अधिकारी और कर्मचारी के संवर्ग में नियुक्तियां, सीधी भर्ती के माध्यम से चयन द्वारा की जायेगी।

(4) **चयन तथा नियुक्ति**–अनुसूची में, विनिर्दिष्ट किये गये पदों पर समस्त नियुक्तियां, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) **आयु सीमा**–संविदात्मक नियुक्ति के लिये, उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, जिसमें कि नियुक्ति की जानी है, न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 और 65 वर्ष होगी।

(6) **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता**–संविदा आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता ऐसी होगी, जैसी कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए।

(7) **आरक्षण के लिए उपबंध**–मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अनुसार संविदा आधार पर सीधी भर्ती के प्रक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यार्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जायेंगे।

(8) **विज्ञापन**–नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के पद के लिये राज्य स्तर के कम से कम दो समाचार–पत्रों में पद विज्ञापित किए जाएंगे। विज्ञापन की एक प्रति नगर पालिक निगम के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

(9) आवेदन प्राप्त होने पर, आयुक्त प्राप्त हुए आवेदनों की संवीक्षा करेगा तथा पात्र अभ्यार्थियों की एक सूची तैयार करेगा।

(10) नियुक्ति प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या साक्षात्कार द्वारा या दोनों के द्वारा किया जाए।

(11) अभ्यर्थियों का चयन अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट समिति द्वारा किया जायेगा।

(12) चयन समिति, यथास्थिति, प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगी तथा ऐसी सूची में भरे जाने वाले पदों की संख्या से अभ्यर्थियों की संख्या दुगनी होगी। यह चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(13) नियुक्ति अधिकारी, उसी क्रम में नियुक्ति करेगा जिस क्रम में उनके चयन सूची में आये हों।

6. **संविदा सेवा की कालावधि तथा पदस्थापना :–**

(1) संविदा अधिकारी/कर्मचारियों की, संविदा आधार पर सेवा की कालावधि 2 वर्ष होगी।

(2) **संविदा कालावधि में वृद्धि**–दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् तथा नियुक्ति प्राधिकारी की मूल्यांकन रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार, संविदा अधिकारी या कर्मचारी के कार्य, आचरण एवं प्रदर्शन के निर्धारण के पश्चात् संविदा कालावधि वृद्धि के संबंध में अंतिम विनिश्चय लेगी।

7. **संविदा की कालावधि के दौरान अनुशासन तथा नियंत्रण** :– संविदा आधार पर सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित नगर पालिक निगम के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा तथा इन नियमों के अधीन नियुक्ति किया गया कोई भी व्यक्ति, नगर पालिक निगम के कर्मचारियों के लिये लागू आचरण नियमों द्वारा शासित होगा।

8. **कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में अन्तर्गत होने पर कार्यवाही**–नियम 7 के अधीन किसी कदाचार पर या इन नियमों के अधीन नियुक्त सेवा के सदस्यों द्वारा किसी आपराधिक क्रियाकलाप में अन्तर्गत होने पर नियुक्ति प्राधिकारी सुनवाई का युक्तियुकत अवसर देने के पश्चात् संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

9. **अन्य शर्तें.**–(1) चयनित अभ्यार्थी, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी/आयुक्त के साथ, 50 रूपये (पचास रूपये) के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाले व्यय चयनित अभ्यार्थी द्वारा वहन किया जायेंगे।

(2) उस व्यक्ति के लिये, यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश के जारी होने के 15 दिन के भीतर, संविदा नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त कालावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में, संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द हो जायेगी।

(3) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, नगर पालिक निगम के आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(4) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, नगर पालिक निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को लागू यात्रा भत्तों को पाने का हकदार होगा।

(5) संविदा आधार पर सेवा के सदस्य पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं के हकदार नहीं होंगे तथा कोई बोनस आदि के हकदार नहीं होंगे।

(6) संविदा आधार पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी स्थानांतरण के हकदार नहीं होंगे न ही उनके पद स्थानांतरणीय होंगे।

(7) संविदा अधिकारी या कर्मचारी एक कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 13 (तेरह) दिन के आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे तथा वह एक समय में केवन तीन दिनों के आकस्मिक अवकाश

का उपभोग कर सकेंगे महिला अधिकारी/कर्मचारी, अधिकतम 90 (नब्बे) दिनों की प्रसूति अवकाश की हकदार होंगी। उपरोक्त वर्णित अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां आयुक्त, नगर पालिक निगम में निहित होंगी।

(8) संविदा आधार पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी नियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होंगे।

(9) संविदा नियुक्ति, किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक मास की सूचना या एक मास की संविदा रकम भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।

(10) इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति महंगाई भत्ते, गृहभाड़ा भत्ते या किसी अन्य भत्ते हक हकदार नहीं होगा।

(11) यदि संविदा आधार पर सेवा का सदस्य बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक मास से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति, ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जायेगी।

(12) सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी, जैसी कि नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं।

10. निर्वचन.—इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

नोट :—

1. संविदा पर नियुक्ति अधिकतम दो वर्ष के लिए अस्थाई रूप से आवश्यकतानुसार की जायेगी परंतु अभ्यार्थी की कार्यकुशलता एवं निकाय की आवश्यकता के आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकेगी।

आयुक्त
नगर निगम भोपाल